तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
01.12.25	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री अक्षय कुमार देवड़ा, अभिभाषक प्रार्थीगण। श्री जयदेवसिंह, अभिभाषक अप्रार्थीगण। **आदेश** 1. हस्तगत् निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा–230 सपठित धारा 221 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ओसियां द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.08.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2. निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण ने बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 मय स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विवादित आराजी बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ओसियां जिला जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत किया। दौराने वाद प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 2 नियम 2 एवं धारा 11 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर वाद रेस्ज्यूडिकेटा से बाधित होने के कारण खारिज किये जाने बाबत इस्तदुआ की, जिसे विचारण न्यायालय ने अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 09.08.2006 द्वारा अस्वीकार कर दिया, जिससे व्यथित होकर हस्तगत निगरानी माननीय मण्डल में पेश की गई है। 3. विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष को निगरानी पर सुना गया। 4. विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय, नियम एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत है। उन्होनें कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस आधार पर इस वाद को पोषणीय होना माना है कि वादग्रस्त भूमि श्री लालू जो मृतक प्रतिवादी संख्या 1 चेतनराम के पिता थे, सर्वप्रथम उनकी खातेदारी की भूमि थी एवं इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि को पैतृक सम्पत्ति मानते हुए इस वाद को पोषणीय	

होना माना। धारा 8 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि किसी जायदाद का मालिक, खातेदार या स्वामी का देहांत होता है, यानि स्वःअर्जित सम्पत्ति का स्वामी निर्वसीयत फौत होता है तो उन परिस्थितियों में ऐसी जायदाद उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यानि धारा 8 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मृतक के वारिसों में निहित होगी। धारा 8 उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार ऐसी जायदाद सर्वप्रथम अनुसूची प्रथम के वारिसों में उत्तराधिकार के अनुरूप निहित होगी। श्री लालू के देहांत के पश्चात् यह वादग्रस्त भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी चेतनराम में धारा 8 उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निहित हो गई। इन परिस्थितियों में लालू की वादग्रस्त स्वःअर्जित जायदाद के मामले में पुत्र चेतनराम के जीवित रहते हुए पौत्र वादी अथवा प्रतिवादीगण संख्या 2 से 6 का वादग्रस्त जायदाद में कोई हक, हिस्सा निहित ही नहीं हुआ। धारा 6 उस समय ही प्रभाव में आएगी यदि भूमि लालू के पास ही पैतृक रूप से प्राप्त होती. एवं उस परिस्थिति में ही कॉपार्सनर की हैसियत से वादी वादग्रस्त जायदाद में हक अथवा क्लेम कर सकने का अधिकारी होता, जो इस प्रकरण में वादी हड़मान राम द्वारा किए गए अभिवचन से सिद्ध नहीं है, यानि वादी ने इस भूमि को श्री लालू की स्वःअर्जित जायदाद होना दर्शाया है। इस प्रकार जब वादग्रस्त भूमि में वादी का कोई हक हिस्सा ही निहित नहीं हुआ तो ऐसे तथाकथित हक हिस्से की घोषणा हेतु वाद भी पोषणीय नही रहता एवं इन परिस्थितियों में वादी वादग्रस्त भूमि का ना तो विभाजन कराने का अधिकारी है ना ही स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। लिहाजा वाद विधि बाधित होने से आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार वर्जित था, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने विधि की इस स्थिति की पूर्ण रूप से अनदेखी करते हुए आदेश जैर निगरानी पारित करने में गंभीर क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटी की है। प्रतिवादीगण संख्या 7 व 8 तथा मृतक प्रतिवादी संख्या 1 चेतनराम के मध्य माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा स्पेशल अपील तक मामले का अंतिम रूप से निस्तारण हो चुका है एवं संविदा की विशिष्ट अनुपालना की डिक्री अंतिम रूप से प्रतिवादीगण संख्या 7 व 8 यानि प्रार्थीगण के हक में अंतिम रूप से पारित हो चुकी है एवं उक्त डिकी के अनुरूप इजराय के तहत श्री अपर जिला न्यायाधीश, संख्या–2, जोधपुर में प्रार्थीगण के हक में विधिवत रूप से विक्रय विलेख भी निष्पादित कर दिया है। ऐसी स्थिति में ऐसे विक्रय

विलेख के प्रभावी रहते हुए यह बाद भी पोषणीय नहीं रहता था। अपर जिला न्यायाधीश, संख्या 2. जोधपुर के समक्ष लंबित इजराय याचिका में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की ओर से इस हस्तगत वाद में वर्णित आधारों को ही उल्लेखित करते हुए एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था एवं इजराय याचिका को निरस्त करने की प्रार्थना की गई थी। किंतु अपर जिला न्यायाधीश, संख्या 2. जोधपुर ने बाद सुनवाई उक्त प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। जिस आदेश के विरूद्ध कोई कार्यवाही अप्रार्थीगण ने नहीं की लिहाजा उक्त आदेश अंतिम हो गया। ऐसी स्थिति में धारा 4 सी पी सी के अनुसार कंस्ट्रक्टीव रेस ज्यूडिकेटा का सिद्धांत इस वाद में लागू होता है एवं वाद वादी विधि द्वारा विबंधित हो जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह निष्कर्ष भी गलत उल्लेखित किया है कि दोनों वाद में समान पक्षकार नहीं थे। वास्तव में धारा 11 सी.पी. सी. के तहत यह प्रावधान दिया गया है कि उन्हीं पक्षकारों के मध्य अथवा उनके जरिये क्लेम करने वाले पक्षकारों द्वारा अर्थात अप्रार्थी संख्या 1 हडमान राम इस वाद में अपने अधिकार चेतनराम के मार्फत होना अभिवचन करता है। ऐसी स्थिति में धारा 11 के प्रावधान स्पष्ट रूप से इस मामले में लागू होंगे। जब पक्षकारान के मध्य अंतिम रूप से मामले का निस्तारण हो चुका है एवं इजराय के तहत विक्रय विलेख भी प्रार्थीगण के हक में निष्पादित कर दिये गये है। ऐसी स्थिति में अब प्रतिवादीगण द्वारा आपस में कॉल्यूजन के आधार पर प्रस्तुत किया गया यह वाद पोषणीय नहीं रहता है। लक्ष्मीनारायण के सभी वारीसान को, जिनके हक में विक्रय विलेख न्याायलय द्वारा निष्पादित करवाया गया है, पक्षकार ही नहीं बनाया गया है। मनोरमा व रेखा के हक में विक्रय विलेख निष्पादित हुआ है। किंतु श्री लक्ष्मीनारायण के उपरोक्त वारिसान को इस वाद में पक्षकार ही नहीं बनाया गया है। इस आधार पर भी यह वाद पोषणीय नही रह जाता। आदेश 2 नियम 2 धारा 11 दीवानी प्रक्रिया संहिता व धारा 115 साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अर्न्तगत भी यह वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पोषणीय नहीं था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार विहीन आदेश पारित किया है। अन्त में उन्होनें निगरानी स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

5. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए कथन किया कि विवादित भूमि प्रार्थी हड़मान व प्रतिवादीगण 1 ता 6 की

बहैसियत संयुक्त खातेदारी की संयुक्त कब्जा काश्त की मालिकाना पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि ख.नं. 54,73 व 53 थी। जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 से 6 का 1/7 हिस्सा निहित है। जो कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण को प्राप्त करने का पूर्ण रूप से विधिवत अधिकार है। उक्त अधिकारों की प्राप्ति हेतु यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 व राजस्व प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीएक्ट के तहत विचारण न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा मांगा गया अनुतोष राजस्व न्यायालय ही प्रदान कर सकता है। हम प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 ता 6 ने हमारा हिस्सा कभी भी प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण को बेचान अथवा हस्तांतरण नहीं किया तथा इस राजस्व प्रकरण के अलावा प्रार्थी व अप्रार्थी 2 ता 6 तक किसी वाद / प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं थे। नियमानुसार कोई भी निर्णय या डिक्री उन्ही पर लागू होती है जो उसमें पक्षकार है। इसके अलावा तथा कथित निर्णय व अपीले सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारित किये गये हैं जिनका क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय से भिन्न है। इजराय बाबत प्रकरण की अलग प्रक्रिया है। प्रार्थी व अप्रार्थी न. 2 ता 6 का विचाराधीन वाद में विवादित भूमि में हक / अधिकार राईट तय करने है। जिसका निस्तारण साक्ष्य सबूत आदि कार्यवाही के पश्चात मेरिट पर तय किया जाना है, जो अधिकार राजस्व न्यायालय से ही प्राप्त किये जा सकते है। वादीगण के वाद पर किसी भी प्रकार से रेस्ज्यूडिकेटा धारा 11 सीपीसी अथवा आदेश 2 नियम 2 के प्रावधान लागू नहीं होते है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया।

7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीगण ने बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 मय स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विवादित आराजी बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ओसियां जिला जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत किया। दौराने वाद प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 2 नियम 2 एवं धारा 11 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर वाद रेस्ज्यूडिकेटा से बाधित होने के कारण खारिज किये जाने बाबत इस्तदुआ की, जिसे विचारण न्यायालय ने अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 09.08.2006 द्वारा अस्वीकार कर दिया, जिससे व्यथित होकर हस्तगत निगरानी माननीय मण्डल में पेश की गई है।

हमने अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड व पारित आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आलोच्य आदेश में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का मुख्य आधार अपने निर्णय में यह लिया है कि वाद व प्रार्थना पत्र को इस स्तर पर खारिज किया जाना उचित नहीं है क्योंकि आदेश 2 नियम 2 सीपीसी में दिये गये प्रावधानों के अनुसार वाद कारण व पक्षकार एक होने चाहिए एवं साथ ही साथ मांगी गई रिलिफ न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होना चाहिए। जो इस प्रकरण पर लागू नहीं होते है। इसी प्रकार धारा 11 रेस ज्यूडीकेटा बाबत धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कारणों के आधार पर वाद धारा 11 सीपीसी के तहत वर्जीत नहीं है एवं न ही खारिज किया जा सकता है, क्योंकि दोनों दावों में पक्षकार भिन्न भिन्न है। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने आदेश 2 नियम 2 एवं धारा 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को खारिज किया है। इस संबंध में हमने आदेश 2 नियम 2 सीपीसी का अवलोकन किया, जिसके अनुसार यह नियम तब लागू होता है जब अगला वाद पहले वाद के समान ही वाद हेतुक पर आधारित हो। वाद हेतुक की परिभाषा प्रत्येक ऐसे तथ्य के रूप में की जाती है जिसे वादी को निर्णय के अपने अधिकार के समर्थन में सिद्ध करना होता है। हस्तगत प्रकरण में तथा पूर्व में प्रस्तुत वाद में वाद कारण व पक्षकार भिन्न होने एवं साथ ही साथ मांगी गई रिलीफ न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने के कारण हस्तगत वाद पर आदेश 2 नियम 2 के प्रावधान लागू नहीं होते है। धारा 11 रेस ज्यूडीकेटा के तहत वाद वर्जित नहीं है एवं न ही खारिज किया जा सकता है, क्योंकि दोनों दावों में पक्षकार भिन्न भिन्न है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अपने आक्षेपित आदेश में किसी प्रकार की कोई कानूनी एवं क्षेत्राधिकार संबंधि तात्विक त्रुटि कारित नहीं की है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का हक व हिस्सा वाद में साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर लम्बी न्यायिक प्रक्रिया के पश्चात् तय होने है। हस्तगत् प्रकरण में प्रार्थीगण हमारे समक्ष ऐसा कोई तथ्य/दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहे है, जिसके आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके। अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत निगरानी का दायरा अत्यन्त सीमित है एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप अपेक्षित हो। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत निगरानी खारिज किये जाने योग्य हैं।

	४. परिणामतः हस्तगत निगरानी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नबंर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। तहत का अभिलेख मय निर्णय प्रति अतिशीघ्र लौटाया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (मदन लाल नेहरा) सदस्य	